न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 122/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सोभेन्द्र मोदी -------------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

विनोद प्रसाद मोदी वगैरह ---------------- द्वितीय पक्ष

आदेश

22-10-24

प्रथम पक्ष सोभेन्द्र मोदी के आवेदन पर थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 22.08.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- सरिया खुर्द, थाना सरिया, जिला- गिरिडीह

(1) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 1.91 एकड़
  चौहद्दी : उ0- जानकी मोदी, द0- रूपण पाण्डेय, पू0- झाखर कुम्हार, प0- परती कदीम;

(2) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 761, रकबा- 2.00 एकड़
  चौहद्दी : उ0- भैरो मियाँ, द0- गोविन्द सुण्डी, पू0- बेडो मोदी, प0- सीमाना केशवारी;

(3) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 1.01 एकड़
  चौहद्दी : उ0- अकल मोदी, द0- परती, पू0- झाखर कुम्हार, प0- परती;

(4) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 1.13 एकड़
  चौहद्दी : उ0- परती, द0- विशुन महतो, पू0- नीज, प0- परती;

(5) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 0.80 एकड़
  चौहद्दी : उ0- परती, द0- विशुन महतो, पू0- मोटा आर, प0- नीज

(6) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 0.40 एकड़
  चौहद्दी : उ0- झरी मोदी, द0- अकल मोदी, पू0- झरी मोदी, प0- अकल मोदी;

(7) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 1.01 एकड़
  चौहद्दी : उ0- अकल मोदी, द0- परती, पू0- झाखर कुम्हार, प0- परती;

(8) खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 762, रकबा- 0.42 एकड़

चौहद्दी : उ0- शोभा मोदी, द0- परती, पू0- अकल मोदी, प0- सोहर

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन तथा कारण पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उक्त भूमि उनके पूर्वजों को भूदान यज्ञ समिति द्वारा प्राप्त है। विपक्षीगण का उक्त जमीन पर कोई हक-हुकुक नहीं है तथा विपक्षीगण के द्वारा बाजबरन मेरे तालाब का जीर्णोद्दार किए जाने तथा अवैध रूप से मेरी भूमि पर ट्रेन्च काटे जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल पर्चा इत्यादि जाली तथा फर्जी है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उनके पूर्वज को भूमि स्वत्व वाद 400/1963 से हासिल है।

उभय पक्ष द्वारा समर्पित राजस्व एवं अन्य कागजात / कारण पृच्छा इत्यादि के अवलोकन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि अलग अलग स्वत्व संबंधी कागजात के आधार पर विवादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष के मध्य दखल कब्जा संबंधी विवाद है। उक्त विवाद के विश्लेषण हेतु अंचल अधिकारी सरिया का प्रतिवेदन तथा अन्य साक्ष्य इत्यादि आवश्यक है। भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत सीमित अवधि में जटिल प्रकृति के भू-विवाद का विवेचन / विश्लेषण संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद में भू-विवाद / दखल कब्जा का बिन्दु अंर्तनिहित होने के कारण अग्रेत्तर विवेचन हेतु वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिणत किया जाता है। उक्त आदेश के साथ ही भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु दिनांक ......28-1-25.......... को सूचीबद्द करें।

लेखापित एवं संशोधित

22-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

22-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 11:43:50 +05:30
Location: 192.168.1.2